उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 4–1–72 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10–1–72 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 19–1–72 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकार असाधारण गजट में दिनांक 22–1–72 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 में संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

मण्डी समितियों के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

2—(1) दिनांक 30 अक्तूबर, 1971 से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध, दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति स्थापित न हो, इसमें जो भी पहले हो, प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उक्त दिनांक को विद्यमान था अथवा उक्त अवधि में घोषित किया जाय निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम समिति, यदि कोई हो, के सभापति, उप सभापति तथा सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे ;

(ख) मण्डी क्षेत्र की समिति, उसके सभापति तथा उप-सभापति के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होंगे जिसमें प्रधान मण्डी स्थल स्थित हो और उक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उनका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जाएगा, और उक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि में समिति या उसका सभापति अथवा उप-सभापति समझा जाएगा ;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट पिछले अन्तिम खण्ड द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है;

(घ) राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुकूलन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन की पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निलंबित करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती अथवा सम्बद्ध किसी भी प्रयोजनों के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब भी उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खी जाएगी, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बन्धित अधिसूचना के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15, 1971 का निरसन

3—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

[उद्देश्य और कारण के विवरण के लिये कृपया दिनांक 5–1–72 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 306 जनरल (लेग०)—1972—1,855 (मे०)।

UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAWASTHA) ADHINIYAM, 1972

(U. P. ACT NO. 7 OF 1972)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam*, 1972]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-Second Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972.

Temporary provisions regarding administration of Mandi Samitis.

2. (1) With effect from 30th day of October 1971, the provisions of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the said Adhiniyam), shall for a period of two years or until the constitution of an elected Mandi Samiti under section 13 of the said Adhiniyam, whichever is earlier, have effect, in relation to every Market Area which existed on the said date or is declared to be so during the said period, subject to the following provisions, namely—

(*a*) notwithstanding, anything in the said Adhiniyam, the Chairman, Vice-Chairman and members of the First Committee, if any, shall cease to hold their respective offices ;

(*b*) all powers, functions and duties of the Committee, its Chairman and Vice-Chairman shall be vested in and be exercised, performed and discharged by the District Magistrate of the district in which the Principal Market Yard is situated and such District Magistrate shall be deemed in law to be the Committee, its Chairman or Vice-Chairman, as the occasion may require ;

(*c*) subject to any general or special orders of the State Government, such District Magistrate may in respect of all or any of the powers conferred on him by the last preceding clause delegate, subject to such terms and conditions as he may think fit to impose, the powers so conferred, to any officer to be specified by him in that behalf ;

(*d*) the State Government may from time to time by notification in the *Gazette* make such incidental and consequential provisions, including provisions for adapting, modifying or suspending, in whole or in part, the operation for any provisions of the said Adhiniyam, but not affecting the substance, as may appear to it to be necessary or desirable for any of the foregoing or connected purposes.

(2) Every notification issued under clause (*d*) of sub-section (1) shall, as soon as may be after it is issued, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of its publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make ; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Repeal of U. P. Ordinance no. 15 of 1971.

3. The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhyadesh, 1971, is hereby repealed.

(For statement of Objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary dated 5-1-72).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on 4-1-72 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on 10-1-72).

(Received the Assent of the Governor on 19-1-72 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated 22-1-1972).

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 307 जनरल (लेग०)—1972—1,873 (मे०)